प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचक

[Performance Indicators (PINDICS) for Elementary School Teachers]

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*
विजयन के.**

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों का निष्पादन स्तर तथा उनके मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों को जानने के लिए निष्पादन सूचकों (PINDICS, P-Performance and INDICS-Indicators) की आवश्यकता महसूस की गई। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षक के कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों का आकलन करने के लिए निष्पादन सूचक (PINDICS) बनाना आवश्यक थे। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा आयोग–2012 की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के वर्तमान निष्पादन स्तर का आकलन करने की अनुसंशा की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचकों [Performance Indicators (PINDICS) for Elementary School Teachers], के लिए वर्ष 2013 में दिशानिर्देश बनाए गए। जिसका उपयोग सेवारत शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन एवं प्रगति का आकलन करने तथा संकुल संसाधन केंद्र/खंड संसाधन केंद्र/ जिला स्तर पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु किया जा सकेगा। इस लेख में, निष्पादन सूचकों (PINDICS) को भरकर कैसे निष्पादन स्तर की गणना की जाए, इसे उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो सेवारत शिक्षकों तथा विद्यालय

* *सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110 016
** *सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110 016

प्रमुख /संकुल (Cluster) संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षकों /खंड (Block) संसाधन केंद्र के समन्वयक को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो वर्ष 2000-2001 से चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण (UEE—Universalisation of Elementary Education) हेतु यह लक्ष्य-आधारित योजना है। इसमें स्तरानुसार उपलब्धि प्राप्त करने के पश्चात् लक्ष्य संशोधित किए जाते हैं, जिन्हें तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

इस योजना के द्वारा देश के प्रत्येक बालक तक (शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संदर्भ में) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुँचाने के लिए विभिन्न पूरक योजनाओं, जैसे–पढ़े भारत, बढ़े भारत; मध्याह्न भोजन योजना आदि के माध्यम से विद्यालय हेतु आधारभूत संसाधन, बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति तथा सीखने हेतु पाठ्यपुस्तकें, गणवेश आदि नि:शुल्क प्रदान करने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण-अधिगम संसाधन, प्रशिक्षण शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवारत शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अकादमिक सहायता हेतु पर्याप्त संसाधन मुहैया कराती है। जिससे बालकों का अधिगम उपलब्धि स्तर बढ़े।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा देश के 34 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 298 जिलों के 7046 विद्यालयों के कक्षा 3 के 1,04,374 बालकों पर वर्ष 2012-13 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3-चक्र-3 [(National Achievement Survey, Class-3 (Cycle-III)] के पsरिणामों के आधार पर बालकों का निष्पादन, भाषा में 64 प्रतिशत तथा गणित में 66 प्रतिशत पाया गया।

अत: उक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के सेवारत शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं बालकों के अधिगम स्तर में सुधार की आवश्यकता है।

इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों का निष्पादन स्तर तथा उनके मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों को जानने के लिए निष्पादन सूचकों (PINDICS, P-Performance and INDICS-Indicators) की आवश्यकता महसूस की गई। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों का आकलन

करने के लिए निष्पादन सूचक (PINDICS) बनाना आवश्यक थे। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा आयोग-2012 की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के वर्तमान निष्पादन स्तर का आकलन करने की अनुसंशा की गई।

इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचकों [Performance Indicators(PINDICS) for Elementary School Teachers] के लिए वर्ष 2013 में दिशा-निर्देश बनाए गए।* जिन्हें भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू करते हुए राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतानुसार संशोधित कर क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिए गए।

शिक्षकों के निष्पादन का आकलन करते समय विद्यालय की कार्य प्रकृति एवं वहाँ की परिस्थितियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विविधता होने के कारण विद्यालय भी विविध प्रकार के हैं। ऐसी विविधता में शिक्षकों की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में, शिक्षकों के निष्पादन का आकलन एक ही प्रक्रिया एवं परीक्षण से किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा बनाए गए निष्पादन सूचकों (PINDICS) के दिशा निर्देश एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट–http://www.ncert.nic.in/pdf_files/PINDICS.pdf पर उपलब्ध हैं।

इस लेख में, निष्पादन सूचकों (PINDICS) को भरकर कैसे निष्पादन स्तर की गणना की जाए, इसे उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो सेवारत शिक्षकों तथा विद्यालय प्रमुख / संकुल (Cluster) संसाधन केंद्र के समन्वयक / नोडल प्रमुख शिक्षक/ खंड (Block) संसाधन केंद्र के समन्वयक की सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

संदर्भ

PINDICS अर्थात् निष्पादन सूचकों का उपयोग शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन एवं प्रगति का आकलन करने तथा संकुल संसाधन केंद्र/खंड संसाधन केंद्र / जिला स्तर पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत 'निष्पादन मानदंड' (Performance Standard), 'विशिष्ट मानदंड' (Specific Standard) एवं 'निष्पादन सूचक' (Performance Indicator) दिए गए हैं। शिक्षकों के उनके कार्य एवं ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्रों में निष्पादन को निष्पादन मानदंड कहा गया है, इनकी संख्या सात है। निष्पादन मानदंडों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे उनमें निष्पादन करें। जिन्हें विशिष्ट मानदंड कहा गया है, जिनकी संख्या 12 है। निष्पादन

* शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची का अध्ययन करें

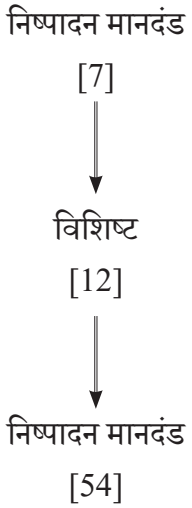

सूचक (इनकी संख्या 54 है) इन्हीं विशिष्ट मानदंडों से निकले हैं।

निष्पादन सूचक (PINDICS) शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 एवं सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क–2011 के आधार पर बनाए गए हैं। निष्पादन सूचक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 2010-11 में किए गए अध्ययन ''कक्षा-कक्ष शिक्षण पर सेवाकालीन प्रशिक्षण (INSET-In-service Training) का प्रभाव'' से प्राप्त परिणामों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर किए गए परीक्षण, राज्य स्तरीय राजकीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERTs) के अधिकारियों एवं राज्य परियोजना अधिकारियों (SPO) तथा शिक्षक प्रशिक्षकों से प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर संशोधित कर बनाए गए हैं।

निष्पादन मानदंड

निष्पादन मानदंड, कार्य निष्पादन के प्रत्येक ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्र की अपेक्षाओं को बताते हैं। इस प्रकार, निम्नलिखित निष्पादन मानदंडों की पहचान की गई है —

- विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा;
- विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ;
- सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ;
- अंतरवैयक्तिक संबंध;
- पेशागत विकास;
- विद्यालय का विकास;
- शिक्षक की उपस्थिति।

निष्पादन सूचकों (PINDICS) का उपयोग

निष्पादन सूचकों का उपयोग शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन का आकलन तथा उच्चतर स्तर तक पहुँचने के निरंतर प्रयासों के लिए कर सकते हैं। इनका उपयोग शिक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने के लिए, पर्यवेक्षण अधिकारियों या मेंटर द्वारा आकलन तथा शिक्षक के निष्पादन में सुधार हेतु रचनात्मक फ़ीडबैक देने के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक निष्पादन सूचक के लिए चार बिंदुओं की निर्धारण मापनी (Four Point Rating Scale) में 1 से 4 तक अंक निर्धारित (Rating Point) किए गए हैं, जो निष्पादन के स्तरों को दर्शाते हैं। निर्धारण मापनी के निर्धारक बिंदु एवं उनके निर्धारक अंक इस प्रकार हैं —

- अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना – 1 (Not meeting the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास – 2 (Approaching the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना – 3 (Approached the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड से बढ़कर – 4 (Beyond the expected standard)

यदि शिक्षक विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन के लिए नवाचारी तरीके से कार्य एवं अतिरिक्त प्रयास करता है, तो वह स्वयं को निर्धारक बिंदु अपेक्षित मानदंड से बढ़कर (4) में रख सकता है।

शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश

शिक्षकों द्वारा कम-से-कम सत्र में दो बार (एक बार पहली तिमाही के अंत में एवं दूसरी बार तीसरी तिमाही के अंत में) स्व-आकलन करना चाहिए। साथ ही, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें –

- शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी पूर्ण भरें।
- कोई भी जानकारी खाली न छोड़ें।
- प्रत्येक निष्पादन सूचक को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन पर अपनी कक्षा-कक्ष प्रक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्धारक अंक प्रदान करें।
- प्रत्येक सूचक में आपके निष्पादन के आधार पर चार बिंदुओं की निर्धारण मापनी में बिंदुवार स्वयं का निर्धारित अंक अंकित करें।
- मानदंड के प्रत्येक सूचक के अंकों को जोड़कर निष्पादन मानदंड (क्षेत्र) का कुल फ़लांक निकालें।
- अपने आकलन के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएँ। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों को भी जोड़ें, जिनमें आपको मदद की आवश्यकता है।

संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक या नोडल प्रमुख शिक्षक के लिए दिशानिर्देश

निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखते हुए संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक / नोडल प्रमुख शिक्षक/ खंड संसाधन केंद्र के समन्वयक द्वारा वर्ष में दो बार आकलन करना चाहिए –

- शिक्षकों के स्व-आकलन रिकॉर्ड का उपयोग करें।
- वास्तविक कक्षा-कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन करें।
- शिक्षकों की रिपोर्ट के लिए पूरक जानकारी प्राप्त करने हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) से चर्चा करें।
- स्व-आकलन एवं शिक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएँ।
- संबंधित शिक्षक के निष्पादन स्तर में सुधार हेतु उनसे उनकी रिपोर्ट पर चर्चा करें।
- शिक्षक का आकलन, PINDICS के साथ-साथ गुणवत्ता मॉनीटरिंग परीक्षणों (QMTs-Quality Monitoring Tools) से प्राप्त विद्यार्थी-अधिगम परिणामों, पाठ्यचर्या की पूर्णता का स्तर तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी से जोड़कर करें।
- शिक्षक निष्पादन तालिका एवं विद्यालय के सभी शिक्षकों की एकीकृत तालिका पूर्ण रूप से भरकर उन्हें संकुल संसाधन केंद्र स्तर से खंड संसाधन केंद्र में भेजें।

शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी

शिक्षक को अपनी पहचान बताने के लिए शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी पूर्ण रूप से भरना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत शिक्षक को विद्यालय का नाम व पता, डाइस (DISE—District Information System for Education) कोड नंबर, राज्य, जिला, खंड तथा संकुल का नाम लिखना होगा। इसके अलावा अपना नाम, अकादमिक एवं पेशागत तथा कोई अन्य योग्यता, शिक्षण अनुभव, विषयवार पढ़ाई गई कक्षाएँ, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए सेवाकालीन प्रशिक्षणों की तिथिवार संख्या तथा कोई उपलब्धियाँ, जैसे– पुरस्कार, विशेष सम्मान हो, तो ज़रूर लिखना होगा।

PINDICS तालिका

PINDICS के प्रथम दो निष्पादन मानदंडों के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट मानदंड एवं निष्पादन सूचकों हेतु निर्धारण मापनी के निर्धारक बिंदु एवं उनके निर्धारक अंकों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है —

निर्धारक अंक निम्न प्रकार हैं –

- अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना—1 (Not meeting the expected standard—1)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास—2 (Approaching the expected standard—2)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना — 3 (Approached the expected standard—3)
- अपेक्षित मानदंड से बढ़कर — 4 (Beyond the expected standard—4)

विवरणात्मक आकलन एवं फ़ीडबैक

- इसके अंतर्गत शिक्षक को PINDICS के आकलन के आधार पर स्व-आकलन रिपोर्ट बनानी होगी। जिसमें स्वयं के द्वारा महसूस

निष्पादन मानदंड 1 — विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा

Performance Standard 1 — Designing Learning Experiences for Children

विशिष्ट मानदंड (Specific Standards)	निष्पादन सूचक (Performance Indicators)	निर्धारक अंक (Rating Point)	अवलोकन* (Observation, if any)
अधिगम अनुभवों की रूपरेखा की योजना (Planning for designing learning)	योजना के दौरान पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य संबंधित दस्तावेज़ों का उपयोग (Use(s)textbooks and other relevant documents while planning)	2	
	विद्यार्थियों के निष्पादन रिकॉर्ड्स का उपयोग (Use(s) record of students performance)	1	
	अधिगम गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए योजना (Plan(s) for engaging children in learning activities)	3	
	उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना एवं संकलित करना (Collect(s)and prepare(s) relevant teaching learning materials)	2	
निष्पादन मानदंड 2 — विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Performance Standard 2 — Knowledge and Understanding of the Subject Matter)			
विषयवस्तु का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and understanding of the content)	उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए विषयवस्तु के ज्ञान की अवधारणाओं को समझाना (Demonstrate(s) content knowledge with conceptual)	2	
	विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की ज़िम्मेदारी का ध्यान रखते हुए विषय के ज्ञान का उपयोग (Use(s) subject knowledge for making it responsive to the diverse needs of children)	2	
	निर्धारित समय में पूरा पाठ्यविवरण पूर्ण करने के लिए विषय के ज्ञान का उपयोग (Use(s) subject knowledge for competing entire syllabus within specified time)	1	
	विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारना (Correct(s) errors made by students)	2	

*अवलोकन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख या सबूत के तौर पर कुछ रिकॉर्ड हो सकते हैं।

किए गए संतोषजनक बिंदु तथा उन क्षेत्रों का उल्लेख करना होगा, जिसमें सुधार एवं मदद की आवश्यकता हो। प्रत्येक शिक्षक रिपोर्ट के अंत में स्वयं के हस्ताक्षर ज़रूर करें।

- विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक को शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट तथा स्वयं के अवलोकन के आधार पर शिक्षक के निष्पादन की विशिष्ट मानदंडों पर आधारित रिपोर्ट बनानी होगी। जिसमें शिक्षक के निष्पादन में सुधार एवं मदद हेतु की जाने वाली कार्रवाई की बिंदुवार योजना का भी उल्लेख करना होगा तथा रिपोर्ट के अंत में स्वयं के हस्ताक्षर करें।

शिक्षक निष्पादन तालिका

PINDICS की शिक्षक निष्पादन तालिका को एक शिक्षक/विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरने का उदाहरण आगे दिया गया है —

- प्रत्येक निष्पादन मानदंड के निर्धारक अंकों का जोड़ शिक्षक द्वारा भरी गई निष्पादन तालिका एवं स्वयं-आकलन रिपोर्ट, कक्षा-कक्ष अवलोकन तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से चर्चा के आधार पर होना चाहिए।
- प्रत्येक निष्पादन मानदंड के कुल निर्धारक अंकों में कुल निष्पादन सूचकों की संख्या से भाग देकर निष्पादन मानदंड के फ़लांक की गणना की जा सकती है। गणना करने पर प्राप्त परिणाम यदि 0.50 से कम या अधिक आने पर निकटतम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, जैसे – 15/8 = 1.87 ~ 2 या 86/26 = 3.30 ~ 3.
- निष्पादन मानदंडों के फलांकों का औसत संपूर्ण निष्पादन होगा। निष्पादन मानदंडों के फ़लांकों के योग में 7 (निष्पादन मानदंडों की संख्या) से भाग देकर इसकी गणना की जा सकती है। गणना करने पर प्राप्त परिणाम यदि 0.50 से कम या अधिक आने पर निकटतम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, जैसे – 17/7 = 2.42~ 2.

एक संकुल के किन्हीं पाँच प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 10 शिक्षकों द्वारा भरी गई शिक्षक की निष्पादन तालिकाओं (1) के आधार पर विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा तालिका भरने का निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है (पृष्ठ संख्या 104-105)—

एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर)

PINDICS की एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर) भरने के लिए किसी एक संकुल के किन्हीं पाँच प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 10 शिक्षकों द्वारा भरी गई शिक्षक निष्पादन तालिकाओं (तालिका 1 एवं 2) के आधार पर संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा तालिका भरने का निम्नलिखित उदाहरण (पृष्ठ संख्या 106)

शिक्षक निष्पादन तालिका 1

(शिक्षक /विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

शिक्षक का नाम :————————————

विद्यालय :————————————

वर्ष :———— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :————

क्र.स.	**निष्पादन मानदंड (Performance Standards)**	**शिक्षक के कुल निर्धारक अंक (Consolidated Rating of Teacher)**
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा (Designing Learning Experiences for Children)	8/4 ~ 2
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and Understanding of Subject Matter)	7/4 1.75 ~ 2
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ (Strategies for facilitating learning)	86/26 =3.30 ~ 3
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध (Interpersonal Relationship)	15/8 = 1.87 ~ 2
5.	पेशागत विकास (Professional Development)	12/7 =1.71 ~ 2
6.	विद्यालय का विकास (School Development)	9/3 = 3
7.	शिक्षक की उपस्थिति (Teacher Attendance)	6/2 = 3
संपूर्ण निष्पादन (Overall Performance)		**17/7 = 2.42 ~2**

शिक्षकों की निष्पादन तालिका — 2

(विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

संकुल का नाम एवं पता :————————————

संकुल के अंतर्गत कुल विद्यालय :————————————

संकुल के अंतर्गत कुल शिक्षक :————————————

वर्ष :———— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :————————

क्र. स.	निष्पादन मानदंड (Performance Standards)	शिक्षकों के कुल निर्धारक (Consolidated Ratings of Teachers)									
		*T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा (Designing Learning Experiences for Children)	2	1	2	3	2	3	4	1	;2	3
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and Understanding of Subject Matter)	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ (Strategies for Facilitating Learning)	3	2	2	2	3	1	3	1	2	3
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध (Interpersonal Relationship)	2	1	3	2	3	2	1	4	3	1
5.	पेशागत विकास (Professional Development)	2	3	1	1	3	2	2	2	2	3
6.	विद्यालय का विकास (School Development)	3	2	3	4	2	3	1	3	2	1
7.	शिक्षक की उपस्थिति (Teacher Attendance)	3	4	3	3	2	4	3	2	4	3
संपूर्ण निष्पादन (Overall Performance)		**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**

***T–** Teacher

एकीकृत निष्पादन तालिका 3 — संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर

(संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

संकुल का नाम एवं पता :————————————

संकुल के अंतर्गत कुल विद्यालय :————————————

संकुल के अंतर्गत कुल शिक्षक :————————————

वर्ष :———— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :————

क्र. स.	निष्पादन (Performance Standards)	शिक्षकों के कुल निर्धारक अंकों के आधार पर निष्पादन (Levels of Performance Based on Consolidated Ratings of Teachers				योग (Total)
		अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना–1 (Not meeting the expected standard)	अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना का प्रयास – 2 (Approaching the expected standard)	अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना – 3 (Approached the expected standard)	अपेक्षित मानदंड से बढ़कर – 4 (Beyond the expected standard)	
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा	II (2)	IIII (4)	III (3)	I (1)	10
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ	-	IIIII (5)	IIIII (5)	-	10
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ	II (2)	IIII (4)	IIII (4)	-	10
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध	III (3)	III (3)	III (3)	I (1)	10
5.	पेशागत विकास	II (2)	IIIII (5)	III (3)	-	10
6.	विद्यालय का विकास	II (2)	III (3)	IIII (4)	I (1)	10
7.	शिक्षक की उपस्थिति	-	II (2)	IIIII (5)	III (3)	10
संपूर्ण निष्पादन		**-**	**IIIII III (8)**	**II (2)**	**-**	**10**

Chapter 11.indd 106

4/28/2017 10:00:09 AM

दिया गया है– शिक्षकों की निष्पादन तालिकाओं के आधार पर संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा टेली चिह्न (Tally Sign) की सहायता से एकीकृत निष्पादन तालिका भरकर संपूर्ण निष्पादन ज्ञात किया जा सकता है। यह जानकारी खंड, जिला या राज्य स्तर पर भी भेजी जा सकती है।

उदाहरणस्वरूप, दी गई एकीकृत निष्पादन तालिका-संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर (तालिका 3) से यह ज्ञात होता है कि 10 शिक्षकों में से 8 शिक्षक केवल निष्पादन स्तर, अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास करने वाले हैं। अत: संकुल, खंड, जिला या राज्य स्तर पर शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने में उक्त निष्पादन मानदंडों, शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट एवं विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक की स्वयं के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट का उपयोग कर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षक सामग्री बनायी जा सकती है तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, PINDICS की एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर), विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट एवं स्वयं के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट का उपयोग खंड, जिला या राज्य स्तर पर शिक्षकों के निरन्तर पेशागत विकास की योजना अर्थात् सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने तथा प्रशासनिक स्तर पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए निर्णय लेने में उपयोग किया जा सकेगा।

इसके अलावा, शिक्षकों में कौशलों का विकास करने का अवसर, पेशागत विकास, प्रशिक्षण आदि देने के लिए राज्य, जिला, खंड एवं संकुल स्तर पर विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन को उचित वातावरण मुहैया कराने की आवश्यकता है। जिसका सीधा असर बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक के निष्पादन पर पड़ेगा।

साथ ही, शिक्षकों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची तथा पेशागत आचार संहिता या पेशागत नैतिकता (Code of conduct or professional) का पालन करते हुए उच्चतम स्तर का निष्पादन करने का प्रयास करना होगा।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005*. नयी दिल्ली.

___. 2013. 'परफ़ोरमेंस इंडीकेटर्स (पी.आई.डी.आई.सी.एस.) फ़ॉर एलीमेंटरी स्कूल टीचर्स–गाइडलाइंस'. नयी दिल्ली.

भारत का राजपत्र. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009. संख्या-39, अगस्त 27 2009. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. 2012. *विज़न ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया – क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव*. रिपोर्ट ऑफ़ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टीट्यूड बाई ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (वोल्यूम I). डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन.

http://www.ncert.nic.in/departments/nie/esd/pdf/NAS_Class3.pdf

http://www.ssa.nic.in